न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाडियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 177 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 553

1. शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एव शोधा संस्थान कमधज नगर निम्बाहेडा जरिये चेयर पर्सन श्री कल्ला जी वैदिक विश्व विद्यालय निम्बोहडा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेडा भुमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा
......विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– प्रार्थी स्वयं

:: निर्णय ::

दिनांक 06.10.2023

1. प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वाके मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेडा की खाता संख्या 584 आराजी न0 2012 / 1838 तादादी 10.37 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी संस्थान शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोधा संस्थान कमधज नगर निम्बाहेडा को वैदिक विश्वविद्यालय एव शोध संस्थान की स्थापना हेतु पुराने आराजी न० 1165मी रकबा 168 बीघा 1 बिस्वा मे से 30 एकड चरागाह भूमि आवंटित की गई थी।

2. उक्त पुराने आराजी न0 1165 मी जिसकी भूमि वर्गीकरण वैदिक विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ राजस्व रेकार्ड व जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए थी, किन्तु सटेलमेन्ट मे भुलवश उक्त नवीन आराजी न० 2012 / 1838 रकबा 10.3700 हेक्टैयर भूमि वर्गीकरण अहाता आबादी दर्ज कर दी गई है जबकि उक्त भूमि वर्गीकरण वैदिक विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ दर्ज होना चाहिए था, उक्त त्रुटी को संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए नवीन आराजी न० 2012 / 1838 रकबा 10.3700 हेक्टैयर भूमि की वर्गीकरण अहाता आबादी के बजाए भूमि वर्गीकरण वैदिक विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ दर्ज कर संशोधन करने का निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल [illegible] की गई। तहसीलदार, निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित [illegible] जावदा पटवार हल्का जावदा में वर्तमान खाता संख्या 584 आराजी न [illegible] / 1838 रकबा 10.37 है0 भूमि प्रार्थी संस्थान शेषवतार [illegible] संस्थान कमधज [illegible] निम्बाहेडा के नाम (99 वर्ष [illegible]) के वैदिक विश्वविद्यालय [illegible] शोध संस्थान की स्थापना हेतु पुराने आराजी न. 1165 मी. रकबा 168 बीघा 1 बिस्वा में से 30 एकड (48 बीघा) चारागाह भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि का वर्गीकरण वैदिक विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ राजस्व रिकार्ड में अमल होना था, लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 2012 / 1838 रकबा 10.37 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:21:43 IST
Reason: SelfAttested

भूमि वर्गीकरण अहाता आबादी दर्ज की गई है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।वर्तमान राजस्व रिकार्ड मौजा जावदा की जमाबन्दी संख्या 2077–80 मे खाता संख्या 584 में आराजी नम्बर 2012 / 1838 रकबा 10.37 हेक्टैयर, अहाता आबादी किस्म के रूप में दर्ज शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा (99 वर्षीय लीज होल्डर) दर्ज रिकार्ड है।श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,चित्तौडगढ के आदेश कमांक / राजस्व / 12–3(64)06 / वेदपीठ / 496 दिनांक 17 मार्च 2008 से ग्राम जावदा की आराजी संख्या 1165 मी. रकबा 168 बीघा मे से 30 एकड चारागाह भूमि श्री शेषावतार 1008 श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा को वैदिक विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान की स्थापना हेतु 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई थी। जिसकी पालना मे मौजा जावदा मे नामान्तरकरण संख्या 1760 स्वीकृत दिनांक 02.01.2009 से किया गया जिसमें भूमि का वर्गीकरण विश्वविद्यालय भवन प्रयोजनार्थ के स्थान पर भूमि की किस्म धा.क. के रूप मे अमल दरामद की गई थी। इसके बाद जमाबन्दी संख्या 2066–2069 मौजा जावदा की खाता संख्या 497 मे भी आराजी संख्या 1201 / 1165 रकबा 48 बीघा किस्म धा.क. श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा के नाम लीज पर दर्ज है। नवीन भू–प्रबन्ध मे साबिक आराजी संख्या 1165 मी. रकबा 168 बीघा 1 बिस्वा के हाल आराजी संख्या 1838 रकबा 40.19 हेक्टैयर भूमि चारागाह के रूप मे दर्ज हो गई थी। उसके बाद आधार वर्ष जमाबन्दी संख्या 2067–70 मौजा जावदा में आराजी संख्या 1838 रकबा 40.19 हेक्टैयर में से 10.37 हेक्टैयर भूमि श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा के नाम लीज पर दर्ज का अमल दरामद किया गया है तथा उसके बाद जमाबन्दी 2070–73 मौजा जावदा की खाता संख्या 539 मे आराजी संख्या 2012 / 1838 रकबा 10.37 हैक्टेयर भूमि वर्गीकरण अहाता आबादी किस्म दर्ज रिकार्ड है, जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2077–80 मे खाता संख्या 584 में भी उक्तानुसार ही आराजी संख्या 2012 / 1838 रकबा 10.37 हैक्टेयर अहाता आबादी किस्म दर्ज रिकार्ड है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ के आदेशानुसार दिनाक 17 मार्च 2008 को मौजा जावदा की आराजी संख्या 1165 मी. रकबा 168 बीघा 1 बिस्वा मे से 30 एकड (48 बीघा) भूमि श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा को 99 वर्ष की लीज पर आवंटित की गई थी। जो कि वैदिक विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान की स्थापना हेतु आवंटित की गई थी। इसके नवीन भू–प्रबन्ध मे मौजा जावदा की आराजी संख्या 2012 / 1838 रकबा 10.37 हेक्टैयर भूमि किस्म अहाता आबादी दर्ज की गई है। जो कि भूमि की किस्म त्रुटिपूर्ण होकर गलत है। अतः वर्तमान राजस्व रिकार्ड मौजा जावदा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 584 आराजी संख्या 2012 / 1838 रकबा 10.37 हेक्टैयर भूमि वर्गीकरण अहाता आबादी के बजाय सही रूप से विश्वविद्यालय भवन प्रयोजनार्थ हेतु श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा को 99 वर्ष की लीज पर लीज होल्डर दर्ज किया जाहिर आया है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct, or cause to be corrected in the prescribed manner, any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or registers or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:21:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

6. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड मौजा जावदा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 584 आराजी संख्या 2012/1838 रकबा 10.37 हेक्टैयर भूमि वर्गीकरण अहाता आबादी के बजाय सही रूप से विश्वविद्यालय भवन प्रयोजनार्थ हेतु श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा को 99 वर्ष की लीज पर लीज होल्डर दर्ज किया जाना पूरी तरह से सही प्रमाणित होता है।

–:आदेश:–

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है की मौजा जावदा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 584 आराजी संख्या 2012/1838 रकबा 10.37 हेक्टैयर भूमि वर्गीकरण अहाता आबादी के बजाय विश्वविद्यालय भवन प्रयोजनार्थ हेतु श्री शेषावतार 1008 कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान कमधजनगर निम्बाहेडा को 99 वर्ष की लीज पर लीज होल्डर दर्ज किया जाकर तरमीम शुद्धि के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

8. निर्णय आज दिनांक 06.10.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

6/10/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:21:43 IST
Reason: SelfAttested